

NORTH CENTRAL RAILWAY, RAILWAY RECRUITMENT CELL
Balmiki Chauraha, Nawab Yusuf Road, Allahabad

NOTIFICATION

RECRUITMENT AGAINST SCOUTS & GUIDES QUOTA (Open Advertisement)

Employment Notice No. S&GQ 2022-2023

Dated: 30.11.2022

Date of issue: 01.12.2022

Online Closing Date: 24.12.2022 up to 23.59 hrs.

Online applications are invited from Scouts & Guides persons having minimum educational and Scouts & Guides Qualification as given in Para 2 & 3 below, for recruitment in Grade Pay Rs. 1900 and 1800 (Revised Pay Scale after 7th CPC Pay Matrix Level – 02 & 01) against Scouts & Guides Quota 2022-23 on North Central Railway till 23.59 Hrs of closing date for the quota as indicated below:

SN	Post	Pay Matrix Level of 7 th CPC	No of post	Distribution
1	Group 'C'	Level-2 (Grade Pay-Rs.1900/-)	02 (Two)	Over North Central Railway
2	(Erstwhile) Group-'D'	Level-1 (Grade Pay-Rs.1800/-)	06 (Six)	02 post each for Allahabad, Agra and Jhansi Divisions.

- **The candidate may apply for Pay Matrix Level – 2 (Grade Pay Rs. 1900) or Pay Matrix Level – 1 (Grade Pay Rs. 1800) or both.**
- **The above quota is open to all candidates provided that he/she is fulfilling the prescribed norms.**

Note: Candidates willing to apply for both the categories should fill/tick both the categories while applying. Examination fee, as applicable, has to be paid separately for both the category.

2. Educational Qualification:

(a) **For Pay Matrix Level-2 (Grade Pay Rs. 1900/-):** The candidate should have minimum qualification of Intermediate or equivalent examination passed with 50% aggregate from any recognized Board/University. The condition of 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST/Ex. Servicemen and the candidates possessing higher qualification i.e. Graduation/ Post Graduation etc. from a recognized University. (Authority: RBE No.145/2014 dated 17.12.2014 & RBE No.82/1995 dated 01.08.1995)

- **For Technical Posts** -Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship.

(b) **For Pay Matrix Level-1 (Grade Pay Rs. 1800/-):** The candidate should have minimum qualification of 10th pass from any recognized Board or ITI or equivalent or National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT.

3. Minimum Scouts & Guides Qualification: The candidate should possess the following certificates in support of his/her Scouts & Guides qualification:-

- (a) A President's Scout/Guide/Ranger/Rover **OR** Himalayan Wood Badge (HWB) Holder in any section;
- (b) Should have been an active member of a Scouts organization for at least 5 years. The 'Certificate of Activeness' should be as per Annexure 'C' and
- (c) Should have attended two event at National level **OR** All India Railways' level **AND** Two events at State level.

4. Age:

- (a) Candidates applying for Grade Pay Rs. 1900 (**Pay Matrix Level – 02**) i.e. Catg. No. 1 should be aged between 18 to 30 as on **01.01.2023**. (i.e. he/she must have been born not earlier than **02.01.1993** and not later than **01.01.2005**)
- (b) Candidates applying for Grade Pay Rs. 1800 (**Pay Matrix Level – 01**) i.e. Catg. No. 2 should be aged between 18 to 33 as on **01.01.2023**. (i.e. he/she must have been born not earlier than **02.01.1990** and not later than **01.01.2005**)

4.1 Relaxation of Age: The upper age limit as mentioned in Para 4 (a) & (b) is relaxable as under subject to submission of requisite certificate.

Category	Relaxation of Age
SC/ST	05 Years
OBC	03 Years
Physically Handicapped	10 Years Provided the post is identified as suitable for PWDs
Serving employees	For the serving Railway staff and casual labours/substitutes, the relaxation in upper age limits will be upto 40 years for Unreserved candidates, 43 years for OBC candidates and 45 years for SC/ST candidates, provided that they have put in a minimum of 3 years service. For those working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes, the relaxation in upper age limits will be up to the length of service rendered subject to maximum 5 years.
Widows/Divorced judicially separated women	Widows/Divorced/ judicially separated women who are not remarried, up to the age of 35 years for Unreserved, 38 years for OBC and 40 years for SC/ST candidates. (In this regard Hon'ble court order is necessary).
J&K - persons	J&K - persons who had ordinarily domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period from 1st January 1980 to 31st December 1989 up to 5 years.

4.2 Age relaxation to the candidates who have Course Completed Act Apprentices.

Categories	UR	OBC-Non Creamy Layer	SC/ST
Course Completed Act Apprentices applying for the posts for which minimum qualification is ITI/Course Completed Act Apprenticeship.	33 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)	36 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)	38 years + to the extent of period spent on apprenticeship (Maximum 3 Years)
Candidates who are Course Completed Act Apprentices under Apprenticeship Act before attaining the age of 25 years.	35 years	38 years	40 years

5. **Mode of Selection:-** Recruitment should be done at the Zonal Administration level. The candidates, who apply in response to the notification and are found eligible for consideration for appointment against Scouts & Guides quota, shall be assessed on the basis of following criteria:-

(A)	<p>Written Test</p> <p>The written test will consist of 40 objective questions (40 marks) & 1 essay type question (20 marks), in bi-lingual format, relating to Scouts and Guides Organization and its activities and General Knowledge for Grade Pay Rs. 1900/- (Pay Matrix Level – 02) and Grade Pay Rs. 1800/- (Pay Matrix Level – 01), as per Syllabus given in Para 6.</p> <p>The examination for Pay Rs. 1900/- (Pay Matrix Level – 02) and Grade Pay Rs. 1800/- (Pay Matrix Level – 01) will be separate and having negative marking in the written test and 1/3rd of marks allotted for the Objective Type Question will be deducted for every wrong answer. Written test shall be of duration of 60 minutes.</p>	60 Marks
(B)	Marks on Certificates	40 Marks
	(I) Participation/Service rendered in National Events/ National Jamboree (including All Indian Railway Events):	10 Marks
	➤ First Two Certificates (i.e. minimum eligibility qualification).	NIL
	➤ One additional event	07 Marks
	➤ Two or more additional events	10 Marks
	(II) Participation/Service rendered in State Events/Rallies:	10 Marks
	➤ First Two Certificates (i.e. minimum eligibility qualification).	NIL
	➤ One additional event	07 Marks
	➤ Two or more additional events	10 Marks
	(III) Specialized Scout/Guides course organized at National/ State/ All Indian Railways level:	10 Marks
	➤ One course	07 Marks
	➤ Two or more courses	10 Marks
	(IV) Participation in District Rallies:	10 Marks
	➤ One Certificate	NIL
	➤ Two Certificates	07 Marks
	➤ Three Certificates	10 Marks
	Total	100 Marks

6. Syllabus for selection under Scouts & Guides Quota:

"History of Scouting/Guiding; Law & Promise; Organization - District & State level; Training Centre -District & State Level; Knowledge of Book; Scouting for Boys/Guiding for Girls in India, Motto, Left hand Shake; Salute; Prayer; Flag Song; National Anthem; Know the National & Scouting flags; Social Services at Various Occasions; Hiking; Proficiency Badges; How these are earned; Stages in Scouting/Guiding; Thinking Day; Progressive Training of Scouts/Guides/Rovers/Rangers; Pioneering; Handicrafts: Indian Railway Jamborette; National Jamboree; Jamboree on the Air.

Organization at National level; National Training Centre, WAGGGS / WOSM- Uprashtrapati Award Competition; Prime Minister Shield Competition; Community Development Programme; Aims and Methods of Scouting; How Scouting is useful in producing better citizen?

7. Conditions for recruitment:

- 7.1 Before applying candidate should ensure that he/she fulfils the minimum eligibility norms.
- 7.2 Before posting against any working post the candidate will have to pass the requisite medical examinations prescribed for the post conducted by the Railway administration.
- 7.3 For posts where there is initial training prescribed, candidates has to qualify the training before posting.
- 7.4 Selected candidates, if posted as Clerk cum Typist have to acquire typing skill within a period of 2 years from the date of appointment at the speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on Typewriter and if typewriting skills are tested on Personal Computers (PCs), then 40 words per minute in English or 35 words per minute in Hindi. If they do not acquire the requisite typing skill within two years, no additional time will be given and services of such candidates will summarily terminated.
- 7.5 A caste certificate on the prescribed format for recruitment in Central Government services issued by the competent authority in the case of SC/ST/OBC should be uploaded for the purpose of taking relaxation as admissible
- 7.6 Selected candidates will be utilized by the administration for arranging activities/events etc. whenever need arises and they will also continue to perform the duties of the posts on which they shall be posted.
- 7.7 The Selected Candidates can be posted anywhere & on any posts as per administrative requirements.

8. Serving candidates:

Serving Railway staff and those working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes shall have to upload No Objection Certificate (NOC) issued by their employer.

9. EXAMINATION FEE:

- 9.1. For all candidates except those mentioned in Para 9.2 below Rs. 500/- (Rupee Five Hundred Only) with a provision for refunding Rs. 400/- to those who actually appear in the written examination.
- 9.2. For candidates belonging to SC/ST/Ex- Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs), Women, Minorities and Economic Backward Classes Rs 250 (Rupee Two Hundred Fifty Only) with a provision for refunding the same to those who actually appear in the written examination.
- 9.3. Economically Backward Classes candidates means those whose annual family income is less than Rs. 50,000/-. They have to upload EBC certificate on prescribed format as per Annexure-D.
- 9.4. The examination fee is non-refundable (except those mentioned in Para 9.2). It should be paid ONLINE using internet banking or debit/credit cards (service charges apply for all which will be borne by the candidates). Applications not accompanied with examination fee, wherever required, will be summarily rejected.

10. HOW TO APPLY:

- 10.1. Candidates can apply through ONLINE mode by visiting the website of www.rrcpryj.org. Before applying, candidates are advised to go through the instructions available on the website. The onus is on the candidate to prove that all the information provided/ submitted by him/her in the application is true.
- 10.2. Candidates are required to go to the link provided for filling ONLINE application and fill up the personal details/BIO-DATA, fee paid etc. carefully.

NOTE-I: Candidates should ensure that their Name, Father's Name, Date of Birth should exactly match as recorded in Matriculation or equivalent certificate. Any deviation found during Document Verification will lead to cancellation of candidature and also to debarment. In case any candidate has formally changed the name, then gazette notification or any other legal document, as applicable should be submitted at the time of Document Verification. Such candidates should indicate their changed name. However other details should match with the matriculation certificate.

NOTE-II: Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid e-mail ID in the ONLINE application and keep them active during the entire recruitment process as important messages will be sent by email and on mobile which will be deemed to have been read by the candidates.

- 10.3. The examination fee of Rs. 500 for each category (For candidates mentioned in Para 9.2 Rs. 250) should be paid ONLINE using internet banking or debit/credit cards (service charges apply for all which will be borne by the candidates). After making payment of fee relevant details are required to be filled in the prescribed column of the ONLINE application.
- 10.4. Candidates are required to upload their scanned colour photograph in Scout & Guide uniform of size 3.5cm x 3.5cm (Black & White photograph is prohibited) in JPEG format and 20 Kb to 30 Kb at appropriate place of website.
- 10.5. Candidates are required to upload their scanned Signature (in English or in Hindi) in JPEG format of size 10 Kb to 15 Kb on website.

NOTE: - Photographs: The colour photograph in Scout & Guide uniform of size 3.5 cm X 3.5 cm in JPEG format of 20 Kb to 30 Kb (not earlier than three months from the date of notification), with clear front view of the candidate without sunglasses, should be uploaded. Candidates may note that their candidature may be cancelled at any stage in case of uploading old/unclear photograph or Signature in Capital Letter or variations between photograph uploaded and the actual physical appearance of the candidate. Candidates are advised to keep two additional copies of the same photograph ready with them for bringing along with e-Admit Card and valid Photo ID at the time of examination.

- 10.6. During submission of ONLINE application, a Registration Number will be issued to each applicant. Candidates are advised to preserve/note their Registration Number for further stages of recruitment process / correspondence with RRC concerned.

NOTE-I:- Applications which are illegible, Mandatory columns not filled, incomplete, unsigned, signed in capital letters, without photo of candidate, not having requisite fee (if applicable) are liable to be rejected.

NOTE-II:- In case the application is rejected, candidates will be able to view their status ONLINE on the website of RRC concerned along with the reasons for rejection(s). SMS and e-mail alerts shall also be sent to the candidates on their registered mobile number and e-mail ID, as indicated in their ONLINE application. Candidates whose application/ candidature are rejected will NOT be intimated by post.

NOTE-III:- To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to submit ONLINE application much before the closing date since there may be a possibility of inability/failure to log on to the website of RRC concerned on account of heavy load on the internet or website jam during last days.

NOTE-IV:- Railway Recruitment Cell does not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their application within the last day on account of aforesaid reasons or any other reason.

10.7. DOCUMENTS TO BE UPLOADED:

- 10.7.1. Copy of certificate in support of age proof.
- 10.7.2. Copy of Educational qualifications certificate.
- 10.7.3. Copy the certificate regarding President Scout/Guide/Ranger/Rover OR Himalayan Wood Badge (HWB) Holder in any section.
- 10.7.4. Copy of certificate of two events at National level OR All Indian Railways' level
- 10.7.5. Copy of certificate of two events at State level.
- 10.7.6. Copy of certificate regarding active member of a Scouts organization for at least 5 years. The 'Certificate of Activeness' should be as per Annexure 'C'.
- 10.7.7. List of Scouts & Guides certificates as mentioned in Para 5 (C) (Marks of Scouts & Guides certificates as prescribed will be awarded only on providing the original certificates as mentioned in the list on being declared pass in written examination)
- 10.7.8. Copy of No Objection Certificate (NOC) issued by their employer in case of serving employee.
- 10.7.9. Copy of caste certificate on the prescribed format for recruitment in Central Government services issued by the competent authority in the case of SC/ST/OBC for taking relaxation as admissible.
- 10.7.10. For taking relaxation as admissible candidate belonging to Ex- Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs)/Minorities/ Economic Backward Classes should have to upload respective certificate issued by the competent authority.

NOTE:- No print-out/hard copy of application complete in all respect and/or SC/ST certificate needs to be sent to the office.

11. INVALID APPLICATIONS/REJECTIONS:

Candidates are requested to read all instructions thoroughly before submitting ONLINE application. Otherwise their applications are likely to be rejected on one or more of the following reasons. In case the application is rejected, candidates will be able to view their status ONLINE on the website of RRC along with the reasons for rejection(s). SMS and e-mail alerts shall also be sent to the candidates on their registered mobile numbers and e-mail IDs, if indicated in their ONLINE application. Candidates will not be intimated by post regarding the reason(s) of rejection.

- 11.1. Application without signature or signature in capital or spaced out letters.
- 11.2. Application without Colour photo in uniform (or) photo wearing Goggles, disfigured, small size or unrecognizable or Photostat copy.
- 11.3. Not possessing the prescribed Educational qualification.
- 11.4. Not possessing the prescribed Scout & Guide qualification for the post(s) on the date of submission of application.
- 11.5. Over-aged or under-aged or Date of Birth not filled or wrongly filled.
- 11.6. Candidate's name figuring in the debarred list.
- 11.7. Multiple applications for same post/category.
- 11.8. Application without examination fee.
- 11.9. Without certificate regarding active member of a Scouts organization for at least 5 years (or) certificate issued prior to the date of notification.
- 11.10. In the event of any dispute about interpretation, the English version will be treated as final.
- 11.11. Any legal matters arising out of this employment shall fall in the legal jurisdiction of Allahabad only.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. **CANDIDATES TO ENSURE THEIR ELIGIBILITY BEFORE APPLYING:** The candidates should ensure that they fulfill all eligibility conditions prescribed for the post/examination. Admission of the candidates for the written examination(s) for the posts notified in this notification would be on the basis of the information furnished by them in the ONLINE application. If at any stage of recruitment or thereafter, it is found that any information furnished by the candidate in his/her application is false /incorrect or the candidate has suppressed any relevant information or the candidate otherwise does not satisfy the eligibility criteria for the post(s), his/her candidature will be cancelled forthwith.
2. **EXAMINATION FEE :**
 - a. ₹ 500/- (Rupee Five Hundred Only) for all candidates except those mentioned in Para 9.2 below
 - b. ₹ 250/- ((Rupee Two Hundred Fifty Only) for candidates belonging to SC/ST/Ex-Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs), Women, Minorities and Economic Backward Classes whose family income is less than Rs. 50000 per annum, with a provision for refunding the same to those who actually appear in the written examination.
3. **HOW TO APPLY: Candidates** are required to apply ONLINE for a particular post/Category on the website of Railway Recruitment Cell, Prayagraj www.rrcpryj.org. Detailed instructions for filling up ONLINE applications are available on the website of RRC Prayagraj. Brief Instructions to fill up the same are given in Para Nos. 10 and 11 of this notification.

4. **APPLICATIONS:** The ONLINE application, complete in all respect, can be submitted upto 23.59 Hrs. of last date. No physical copy of application is required to be sent to RRC.

**Candidates are required to apply only through ONLINE mode.
No other mode for submission of application is allowed.**

Steps to submit ONLINE Application

01. Visit the website of the RRC www.rrcpryj.org to apply.
02. Click on the "ONLINE FORM " Link.
03. Click on the "New Registration" link.
04. Fill in the basic details viz. Name, Father's name, Date of Birth, e-mail Address and Mobile number etc.
05. Follow the instructions and complete the registration process step-by-step for getting a Registration Number & Password.
06. Login using the Registration Number and Password. Select the post.
07. Fill up other details such as educational qualification etc. depending upon the educational qualification of the candidate.
08. Pay examination fee (as applicable) online using Credit/Debit Card or Internet Banking.
09. Candidates are required to upload their scanned colour photograph (size 3.5cm x 3.5cm) in JPEG format of 20 Kb to 30 Kb at appropriate placed of website.
10. Candidates are required to upload their Signature (in English or in Hindi) in JPEG format of 10 Kb to 15 Kb at appropriate placed of website.
11. Login with Registration Number and Password in the link for "UPLOAD" and thereafter, upload the file/scanned filled.
12. The Certificate in support of Age proof should be uploaded. The size of the file should be between 150 Kb and 300 Kb (150 DPI).
13. Certificate of Scout & Guide qualification should be uploaded. The size of the file should be between 150 Kb and 300 Kb (150 DPI).
14. To avail the facility of free travel authority (second class Railway Pass) and for taking relaxation as admissible, candidates belonging to SC/ST shall have to upload their SC/ST certificates in the JPEG format. The Size of the file should be between 100 Kb and 200 Kb.
15. For the purpose of taking relaxation as admissible candidates belonging to Ex- Servicemen/Persons with Disabilities (PWDs), Minorities and Economic Backward Classes shall have to upload respective certificate issued by the competent authority. The Size of the file should be between 100 Kb and 200 Kb.
16. Submit the application. Print out the acknowledgement for records.
17. Even after final submission if a candidate wishes to make any modifications, he/she can do before closing date or three days after final submitting which is earlier.
18. To modify application already submitted ONLINE, go to the "ONLINE FORM" link on the website.
19. Click on the 'Modify Application' link.

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

This is to certify that Shri/Smt/Kum* Son/Daughter* of of village /town*
District/Division* of state/Union Territory* belongs to the
 Caste/Tribe * which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under.

The Constitution (Scheduled Caste/Scheduled Tribes) order , 1950

The Constitution (Scheduled Caste/Tribe) (Union Territories) order , 1951 (as amended by the Schedule Caste and Scheduled Tribes Lists Modification) Order 1956 the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Reorganization Act 1971 and the Scheduled Tribes Order (Amendment Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste order , 1956

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order , 1956

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order , 1962

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order , 1962

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order , 1962

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order , 1964

The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order , 1967

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order , 1968

The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order , 1968

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order , 1970

The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste order , 1978

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order , 1978

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989

The Constitution (Scheduled Cast) order (Amendment) Act. 1990

The Constitution (Scheduled Cast) order (Amendment) Act. 1991

The Constitution (Scheduled Cast) order (2nd Amendment) Act. 1991

The Constitution (Scheduled Tribes) order (Amendment) Act. 1996

The Constitution (Scheduled Cast) order (Amendment) Act. 2002.

The Constitution (Scheduled Cast) order (Second Amendment) Act. 2002.

The Scheduled Cast and Schedule Tribes order (Amendment) Act. 2002.

2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/Kum*..... father/Mother*..... of Shri/Smt./Kum..... of Village/Town* In District/Division*..... of State/Union Territory*.....who belongs to the..... Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in State/Union Territory* issued by the.....(name of prescribed authority) vide their No.....dated.....

3. Shri/Smt/Kum*.....and of his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*.....of.....District/Division* of State/Union Territory of.....

Place:.....

Signature:

Date:

Designation

(with seal of office)

State/Union Territory

Please delete the words which are not applicable. Please quote specific presidential offer. Please delete the Paragraph which is not applicable.

Note: (a) The term 'Ordinarily reside'(s) used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

The following officers are authorized to issue cast certificates:

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government countersigned by the District Magistrate concerned.
6. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

Form of Certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to post under Government of India

This is to certify that Shri/Smt./Kumari Son/Daughter of of village/town in District/Division in the State/Union Territory belongs to the community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. Dated*. Shri/Smt./Kumari And or his/her family ordinarily reside(s) in the District/Division of the State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

Date:

District Magistrate/
Dy. Commissioner etc.

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** . As amended from time to time

Note: The term* Ordinarily * used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Certificate No. _____

CERTIFICATE OF ACTIVENESS

This is to certify that(name) of
State/District/Division is an active member of Group since years
duly registered with the State/District Association.

Date:

(Name & Sign)
Group Leader (S/G)

(Name & Sign)
DOC (S/G)

(Name & Sign)
DC (S/G)

Annexure 'D'

**'FORMAT OF INCOME CERTIFICATE TO BE ISSUED ON LETTER HEAD AS PER PARA 3 OF
THE LETTER NO. E(RRB)/2009/25/21 dated 28.10.2009**

Income certificate for waiver of examination fees for examinations for Economically Backward
Classes

1. Name of candidate :
2. Father's name :
3. Age :
4. Residential Address :
5. Annual Family Income :

(in words & figures)

6. Date of issue:

7. Signature : _____

(Name of issuing authority)

Stamp of issuing authority :

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL**(i) Certificate No.****Date :****DISABILITY CERTIFICATE**

This is to certified that Shri/Smt./Kum. Son/Wife/Daughter of Shri
 age Sex..... identification marks(s) is
 suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotors or cerebral palsy :

- (i) BL-Both legs affected but not arms
 (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach
 (b) Weakness of grip
 (iii) OL-One leg affected (Right or Left) (a) Impaired reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
 (iv) OA-One arm affected (a) Impaired reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
 (v) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
 (vi) MW-Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or low vision:

- (i) B-Blind
 (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment :

- (i) D-Deaf
 (ii) PD-Partially Deaf
 (Delete the category whichever is not applicable)

(ii) This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve, Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of Years..... Months*.

(iii) Percentage of disability in his/her case is Percent.

(iv) Shri/Smt./Kum. Meets that following physical requirement for discharged of his/her duties:

- | | | |
|--------|---|--------|
| (i) | F-can perform work by manipulating with fingers | Yes/No |
| (ii) | PP-can perform work by pulling and pushing | Yes/No |
| (iii) | L-can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) | KC-can perform work by kneeling and crouching | Yes/No |
| (v) | B-can perform work by bending | Yes/No |
| (vi) | S-can perform work by sitting | Yes/No |
| (vii) | ST-can perform work by standing | Yes/No |
| (viii) | W-can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) | SE-can perform work by seeing | Yes/No |
| (x) | H-can perform work by hearing/speaking | Yes/No |
| (xi) | RW-can perform work by reading and writing | Yes/No |

(Dr.)
 Member

(Dr.)
 Member

(Dr.)
 Member

Countersigned by the Medical superintendent/
 CMO/Head of Hospital (With Seal)

**उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
नवाब यूसुफ रोड, बाल्मीकी चौराहा, इलाहाबाद**

अधिसूचना	
वर्ष 2019-20 में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत भर्ती	
रोजगार सूचना सं. S&GQ 2022-23	दिनांक : 30/11/2022
जारी करने की तिथि: 01/12/2022	ऑनलाइन अंतिम तिथि: 24/12/2022 23.59 बजे तक

उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय एवं मंडलो में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा वर्ष 2019-20 में खुली भर्ती के तहत ग्रेड पे रू. 1900 एवं 1800/- (7 वें सीपीसी के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02 एवं 01) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 एवं 03 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक और स्काउट्स एवं गाइड्स योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये गये कोटे के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि रात्रि 23.59 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद	7वें सीपीसी के पे मैट्रिक्स लेबल	पदों की संख्या	पदों का आबंटन
1	ग्रुप सी	पे मैट्रिक्स लेबल - 2 (ग्रेड पे रू.1900/-)	02 (दो)	उत्तर मध्य रेलवे पर
2	ग्रुप-डी	पे मैट्रिक्स लेबल - 1 (ग्रेड पे रू.1800/-)	06 (छः)	02 पद प्रत्येक इलाहाबाद, झांसी एवं आगरा मंडलो हेतु।

- उम्मीदवार पे मैट्रिक्स लेबल-2 (ग्रेड पे रू.1900/-) या पे मैट्रिक्स लेबल-1 (ग्रेड पे रू.1800/-) या दोनों हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- उपरोक्त कोटा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु हैं बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता रखते हो।

नोट : दोनो कोटियों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन भरते समय दोनो कोटियों को भरें/टिक करें। दोनो कोटियों के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क देय होगी।

2. शैक्षणिक योग्यता :

(अ) पे मैट्रिक्स लेबल-2 (ग्रेड पे रू.1900/-) के लिए:- उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 50% अंक सहित उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च योग्यता यानि स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि रखने वाले अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50% अंक की शर्त लागू नहीं होगी (प्राधिकरण आरबीई संख्या 145/2014 दिनांक 17.12.14 ओर आरबीई संख्या 82/1995 दिनांक 01.08.1995)।

➤ **टेक्नीकल पदों हेतु-** हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई उत्तीर्ण किया हो या हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूर्ण किया हो।

(ब) पे मैट्रिक्स लेबल-1 (ग्रेड पे रू.1800/-) के लिए:- उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण किया हो या आई.टी.आई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किये गये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टीफिकेट (NAC) मान्य होंगे।

3. न्यूनतम स्काउट्स एवं गाइड्स योग्यता: उम्मीदवारों के पास निम्न प्रमाण-पत्र उसकी स्काउट्स एवं गाइड्स की योग्यता के साक्ष्य में होना आवश्यक है:-

- (अ) राष्ट्रपति का स्काउट्स/गाइड्स/रोवर/रेंजर अथवा हिमालय बुड वैज (HWB) धारक होना चाहिए।
- (ब) विगत कम से कम पांच वर्षों से किसी स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो और वर्तमान में भी सक्रिय हो। सक्रियता प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-C के प्रारूप पर होना चाहिए।
- (स) राष्ट्रीय स्तर अथवा भारतीय रेलवे स्तर और राज्य स्तर पर कम से कम 02 इवेंट में भाग लिया हो।

4. आयु :

- (क) ग्रेड पे 1900/- (पे मैट्रिक्स लेबल-02) यानी कैटेगरी नं0 01 के आवेदकों हेतु आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार कि जन्म 02.01.1993 से पहले और 01.01.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
- (ख) ग्रेड पे 1800/- (पे मैट्रिक्स लेबल-01) यानी कैटेगरी नं0 02 के आवेदकों हेतु आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार कि जन्म 02.01.1990 से पहले और 01.01.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

4.1 आयु सीमा में छूट :- पैरा 4 (क) एवं 4 (ख) में वर्णित ऊपरी आयु सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नवत् छूट प्रदान की जायेगी।

श्रेणी	आयु में छूट की अवधि
अनु.जाति/जन जाति	05 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
शारीरिक रूप से विकलांग	10 वर्ष बशर्ते जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी हो वह पद शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपयुक्त हो।
सेवारत कर्मचारी	क) सेवारत रेलवे कर्मचारियों और आकस्मिक मजदूरों को ऊपरी आयु सीमा में निम्नवत् छूट दी जायेगी बशर्ते कि वे 03 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अनारक्षित उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक, अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 43 वर्ष तक एवं अ.जाति/अ.ज.जाति उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक। ख) इसी प्रकार रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर (अधिकतम 05 वर्ष) छूट प्रदान की जायेगी।
विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं	विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो को 35 वर्ष - सामान्य वर्ग, 40 वर्ष - अ.जा/अ.ज.जाति एवं 38 वर्ष तक - अ.पि.व. (उक्त के संबंध में विधिक न्यायालय का आदेश आवश्यक है।)
जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी	जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे, को आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

4.2 अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षु को उपरी आयु में छूट निम्नवत होगी :

श्रेणी	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग-नांन क्रीमीलेयर	अनु जाति/जन जाति
कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षु जो ऐसे पदों हेतु आवेदन कर रहे हो जिसकी न्यूनतम योग्यता आई टी आई/अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किये हुए प्रशिक्षु	33 वर्ष + प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)	36 वर्ष + प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)	38 वर्ष + प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)
ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण कर लिया हो	35 वर्ष	38 वर्ष	40 वर्ष
क्रम सं. 5(A) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत एक प्रश्न निबन्ध से संबंधित होगा, में (10 अंक) की जगह (20 अंक) पढा जाए।			

5. **भर्ती प्रक्रिया:-** नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी। स्काउट्स एवं गाईड्स कोटा में खुली भर्ती के तहत पात्र पाये गये आवेदकों का चयन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(A) लिखित परीक्षा	60 अंक
ग्रेड पे 1900 (पे मैट्रिक्स लेबल-02) एवं 1800 (पे मैट्रिक्स लेबल-01) हेतु लिखित परीक्षा स्काउट एवं गाईड संगठन एवं उसके गतिविधियों और सामान्य ज्ञान के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) तथा एक प्रश्न निबन्ध से सम्बन्धित होगा (10 अंक)। पाठ्यक्रम नीचे पैरा 6 में दिया गया है। ग्रेड पे 1900 (पे मैट्रिक्स लेबल-02) एवं 1800 (पे मैट्रिक्स लेबल-01) हेतु लिखित परीक्षा अलग-अलग होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिये जायेंगे। लिखित परीक्षा 60 मिनट की होगी।	
(B) प्रमाण पत्र पर अंक	40 अंक
(I) राष्ट्रीय इवेन्ट/राष्ट्रीय जम्बूरी में भागीदारी/सेवा (अखिल भारतीय रेल स्तर लेकर)	10 अंक
➤ प्रथम दो प्रमाण पत्र (i.e. न्यूनतम अर्हक योग्यता)	NIL
➤ एक अतिरिक्त इवेन्ट	07 अंक
➤ दो या अधिक अतिरिक्त इवेन्ट	10 अंक
(II) राज्य स्तर/रैलियों में भागीदारी/सेवा	10 अंक
➤ प्रथम दो प्रमाण पत्र (i.e. न्यूनतम अर्हक योग्यता)	NIL
➤ एक अतिरिक्त इवेन्ट	07 अंक
➤ दो या अधिक अतिरिक्त इवेन्ट	10 अंक
(III) राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेल स्तर पर आयोजित विषिष्ट स्काउट/गाईड कोर्सरू.	10 अंक
➤ एक कोर्स	07 अंक
➤ दो या अधिक कोर्स	10 अंक
(IV) जिला रैलियों में भागीदारी	10 अंक
➤ एक प्रमाण पत्र	NIL
➤ दो प्रमाण पत्र	07 अंक
➤ तीन प्रमाण पत्र	10 अंक
कुल	100 अंक

6. **लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:**— स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास; विधि एवं वचन; संगठन—जिला एवं राज्य स्तर; प्रशिक्षण केन्द्र—जिला तथा राज्य स्तर; पुस्तकों का ज्ञान; भारत में स्काउटिंग फॉर ब्यायज/गाइडिंग फॉर गर्ल्स, मोटो लेफ्ट हैण्ड सेक; सैल्यूट; प्रार्थना, ध्वज गान; राष्ट्रीय गान; राष्ट्रीय एवं स्काउटिंग ध्वज का ज्ञान; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक कार्य; हाईकिंग; प्रोफिसिंसी बैजेज कैसे प्राप्त किये जाते हैं; स्काउटिंग/गाइडिंग में चरण; चिंतन—दिवस; स्काउट्स/गाइड/रोवर/रैंजर का प्रगामी प्रशिक्षण; पायनियरिंग; हस्तशिल्प; भारतीय रेलवे जम्बोरेट; राष्ट्रीय जम्बूरी; वायु में जम्बूरी; राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र; डब्ल्यूएजीजीजीएस/डब्ल्यूओएसएम— उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता; प्रधान मंत्री शीलड प्रतियोगिता; समुदाय विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग के लक्ष्य एवं पद्धति; बेहतर नागरिक देने में स्काउटिंग किस तरह उपयोगी है।

7. भर्ती की शर्तें :

- 7.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है।
- 7.2 नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 7.3 जिन पदों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित है उन पदों पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी होगी।

- 7.4 चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 02 वर्ष के अन्तर्गत टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि चयनित उम्मीदवार 02 वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उक्त अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
- 7.5 अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 7.6 आवश्यकता पडने पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों/आयोजनों इत्यादि की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जायेगा और इसके साथ-साथ वे अपने पद के दायित्वों का भी निर्वहन जारी रखेंगे।
- 7.7 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार/आवश्यकतानुसार कहीं भी किसी भी पद पर नियुक्त किया जाएगा।

8. सेवारत उम्मीदवार :-

सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उम्मीदवारों को, अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

9. परीक्षा शुल्क :-

- 9.1 नीचे पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रू0 500/- शुल्क देना होगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू0 400/- वापसी किया जाएगा।
- 9.2 अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रू0 250/- शुल्क देना होगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू0 250/- वापसी किया जाएगा।
- 9.3 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक आय रू0 50000.00 से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट-D के प्रारूप पर अपलोड करना होगा।
- 9.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा (पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर)। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा शुल्क के दायरे में आते हैं और परीक्षा शुल्क जमा न किया हो, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10. आवेदन कैसे करें :

- 10.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट www.rrcpryj.org पर भरें। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा भरी गयी सारी सूचना सही है।
- 10.2 उम्मीदवार आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना, बायोडाटा एवं परीक्षा शुल्क आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से भरें।

नोट 1:-उम्मीदवार अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सूचना अपने दिये गये मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार सही-सही भरें। दस्तावेज सत्यापन के समय भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला हो तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय गजेट नोटिफिकेशन या न्यायिक प्रपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना बदला हुआ नाम अंकित करेंगे तथा अन्य जानकारियां मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार।

नोट 2:-अभ्यर्थी अपना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंकित करे तथा इसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखें। उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण सूचना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से समय-समय पर भेजी जाती रहेगी और माना जायेगा कि अभ्यर्थियों ने इसे पढ़ लिया है।

- 10.3 परीक्षा शुल्क रू. 500/- (पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रू. 250/-) ऑनलाइन माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करे (प्रोसेसिंग चार्ज अलग से)। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्त आवश्यक जानकारियां संबंधित कॉलम में सही-सही भरना होगा।
- 10.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/स्वत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
- 10.5 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

नोट:- फोटोग्राफ साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/स्वत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb स्काउट एवं गाइड गणवेश में बिना काला/धूप का चश्मा/पी-कैप के अपलोड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अस्पष्ट फोटो, पुरानी फोटो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर या आवेदन पत्र में अपलोड किया हुए फोटो एवं उम्मीदवार में भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ दो फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में चस्पा किया है एवं एक पहचान पत्र परीक्षा के समय साथ में लायें।

10.6 आनलाइन फार्म भरने के उपरान्त प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। कृपया उसे सम्भाल कर रखें इसी के माध्यम से आगे कोई भी सूचना का अदान प्रदान रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

नोट 1:—ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कॉलम नहीं भरा गया हो, अपूर्ण हो, हस्ताक्षर न किया हो अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया गया हो, फोटो न अपलोड हो, परीक्षा शुल्क न जमा हो, उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट 2:—यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तता का कारण वेबसाइट पर देखा जा सकता है इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर एस0एम0एम0 एवं ई-मेल एलर्ट भेज दिया जायेगा।

नोट 3:—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा टेक्निकल खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।

नोट 4:—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज की नहीं होगी।

10.7 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा—

10.7.1 आयु प्रमाण पत्र।

10.7.2 शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।

10.7.3 राष्ट्रपति का स्काउट्स/गाइड्स/रोवर/रेंजर का प्रमाण पत्र अथवा हिमालय बुड वैज (HWB) का प्रमाण पत्र।

10.7.4 राष्ट्रीय स्तर अथवा भारतीय रेलवे स्तर के इवेंट में भाग लेने के 02 प्रमाण पत्र।

10.7.5 राज्य स्तर के इवेंट में भाग लेने के 02 प्रमाण पत्र।

10.7.6 विगत कम से कम पांच वर्षों से वर्तमान तक किसी स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन का सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र। सक्रियता प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-C के प्रारूप पर होना चाहिए।

10.7.7 पैरा 5 में वर्णित स्काउट्स एवं गाइड्स संबंधित प्रमाण पत्रों की सूची (स्काउटिंग योग्यता आकलन के समय सूची में दर्शाये गये प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक देय होंगे।)

10.7.8 सेवारत कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रति अपलोड करनी होगी।

10.7.9 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

10.7.10 भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

नोट:— उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

11. अस्वीकृत आवेदन पत्र:

कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो रिजेक्शन रीजन के साथ वेबसाइट पर देखा जा सकता है एवं एस0एम0एम0 द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर भेज दिया जायेगा। जिसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी।

11.1 आवेदन पर हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।

11.2 आवेदन बिना कलर फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।

11.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

11.4 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित स्काउट्स एवं गाइड्स योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

11.5 अधिक तथा अल्प आयु वाले उम्मीदवार, जन्मतिथि न भरा होना/गलत भरा होना।

11.6 उम्मीदवार का नाम निस्कासित सूची में होना।

11.7 एक ही पद के लिए एक से ज्यादा आवेदन करना।

11.8 परीक्षा शुल्क जमा न होने पर।

11.9 विगत पांच वर्षों से स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन का सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र अथवा सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र अधिसूचना तिथि के पहले का जारी होने पर।

11.10 अधिसूचना की व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

11.11 इस रोजगार से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मामला केवल प्रयागराज (इलाहाबाद) के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1.0 आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें — आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलावा उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वर्णित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में/भर्ती के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

2.0 परीक्षा शुल्क—

- पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को ₹0 500/- शुल्क देना होगा ।
 - अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को ₹0 250/- शुल्क देना होगा ।
- 3.0 आवेदन कैसे करें— पद के लिए अभ्यर्थी आर0आर0सी0, प्रयागराज की वेबसाइट www.rrcpryj.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण दिशा निर्देश आर0आर0सी0, प्रयागराज की वेबसाइट पर दिये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश उपर पैरा 8 एवं 9 में वर्णित हैं।
- 4.0 आवेदन:— उम्मीदवार दिनांक 24.12.2022 को 23.59 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की आवेदन की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

**अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें।
किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।**

ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश

- जिस अभ्यर्थी को आवेदन करना हो, वह आर.आर.सी. की वेबसाइट पर जायें।
- “ONLINE FORM” इस लिंक पर क्लिक करें।
- “NEW REGISTRATION” इस लिंक पर क्लिक करें।
- अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल पता तथा मोबाईल नम्बर दर्ज करें।
- रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश को अपनायें और रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करें और पद को चुनें।
- पूछी गयी सूचनाओं को भरें जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
- परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के माध्यम (जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि) से जमा करें।
- अभ्यर्थी अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।
- वेबसाइट पर "UPLOAD" लिंक को क्लिक करें और रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करने के उपरांत फाइल/स्कैन फाइल को अपलोड करें।
- 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर स्काउट्स एवं गाइड्स योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- निःशुल्क यात्रा सुविधा (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) एवं अन्य देय छूट हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 100 KB से 200 KB तक, JPEG format पर स्कैन करें।
- भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 100 KB से 200 KB तक, JPEG format पर स्कैन करें।
- आवेदन Submit करें। अपने आवेदन की पावती प्रिंट कर लें।
- अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित करना चाहते हों तो अंतिम तारीख से पूर्व, Final Submit के तीन दिन बाद, जो पहले हो, अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं।
- ऑनलाइन जमा किया हुआ आवेदन संशोधित करने के लिए वेबसाइट की “ONLINE FORM” लिंक पर क्लिक करें।
- “Modify Application” लिंक पर क्लिक करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री
.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....

राज्य/संघ.....अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन), 1956, मुम्बई रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित। संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967 संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1978 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पिता/माता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....प्रदेश/ संघ क्षेत्र.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो.....राज्य/संघ क्षेत्र में.....द्वारा जारी.....दिनांक.....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ क्षेत्र.....में रहता है।

राज्य/संघ क्षेत्र

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मोहर)

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।

जो अनुच्छेद लागू न हों, उसे काट दें।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे न हो।

(4) क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र

(6) प्रशासक/सचिव प्रशासक(लक्षदीप, मिनीकॉय और अमनदीव द्वीप)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल.....ग्राम/षहर.....
.....के निवासी हैं जोसमुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक
न्याय एवं शक्तीकरण मंत्रालय के दिनांकके संकल्प संख्याके अंतर्गत पिछड़े
वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। श्री/श्रीमती/ कुमारीतथा उनका परिवार सामान्यतया
.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया
जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993 के का.ज्ञा.सं.
36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से
संबंधित नहीं है।”
दिनांक

जिलाधिकरी
उपायुक्त इत्यादि

मुहर
.....

* प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में ब्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार
की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

* * समय-समय पर संशोधित।

टिप्पणी:- यहाँ प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित
है।

सक्रियता प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (नाम) -----

-----राज्य/जिला/मंडल -----

के ----- समूह के वर्ष ----- से सक्रिय सदस्य है जो
राज्य/जिला संगठन में पंजीकृत है

दिनांक

(नाम एवं हस्ताक्षर)
ग्रुप लीडर (एस/जी)

(नाम एवं हस्ताक्षर)
डीओसी (एस/जी)

(नाम एवं हस्ताक्षर)
डीसी (एस/जी)

परिशिष्ट- D

बोर्ड के पत्रांक सं० ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा-3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रु 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम.....
1. पिता/पति का नाम.....
2. आय.....
3. घर का पता.....
4. परिवार की वार्षिक आय.....
(शब्दों एवं अंकों में)
6. निर्गत तिथि.....
7. हस्ताक्षर.....

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्र. पत्र सं०

तिथि :

अशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... आयु..... लिंग.....
..... पहचान के चिन्ह..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई अशक्तता से ग्रस्त हैं:-

क. प्रमस्तिष्कीय या गतिविषयक :

(i) बीएल-दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बाजू नहीं

(ii) बीए-दोनों बाजू प्रभावित

(iii) ओएल-एक टांग प्रभावित (दाई या बाई)

(iv) ओएच-एक बाजू प्रभावित

(v) बीएच-स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ या झुक नहीं सकता)

(vi) एमडब्ल्यू-मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सक्षमता

ख. दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि :

(i) बी-दृष्टिहीन

(ii) पीबी-अर्द्ध दृष्टिहीन

ग. * श्रव्य विकलांगता :-

(i) डी-बहरा

(ii) पीडी-अर्द्ध बहरा

(जो लागू न हो उसे काट दें)

2. स्थिति प्रोग्रेसिव/नॉन-प्रोग्रेसिव/सुधार होने योग्य/सुधार न होने योग्य है, मामले के पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा नहीं की जाती है/..... वर्षमाह की अवधि के बाद अनुशंसा की जाती है :

3. उनके मामले में अशक्तता का प्रतिशत है :-

4. श्री/श्रीमती/कु०..... उसकी ड्यूटियों के निष्पादन के लिये अपेक्षितनिम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं रखते हैं

(i) एफ-उंगलियों के साथ कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(ii) पीपी-धकेलकर तथा खींचकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(iii) एल-लिफ्टिंग से कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(iv) केसी-नीलिंग और काउचिंग से कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(v) बी-बेडिंग से कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(vi) एस-बैठकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(vii) एसटी-खड़े होकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(viii) डब्ल्यू-चलकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(ix) एसई-देखकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(x) एच-सुनकर/बोलकर कार्य कर सकता है

हां/नहीं

(xi) आरडब्ल्यू-पढ़कर और लिखकर कार्य कर सकते हैं

हां/नहीं

(डा०.....)

सदस्य

(डा०.....)

सदस्य

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सालय अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल
प्रमुख द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित (मुहर सहित)